रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 मार्च, 1996/21 फाल्गुन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4; 11 मार्च, 1996

संख्या 1-24/96-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 11)

851-राजपत्र/96-11-3-96—1,225. मूल्य: 1 रुपया ।

जो दिनांक 11 मार्च, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, एवं सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

के0 एल0 वर्मा,
सचिव।

1996 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथापुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1990-91 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1996 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 10,39,15,17,814 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 10,39,15,17,814 रुपये (दस अरब, उनतालीस करोड़, पन्द्रह लाख, सत्रह हजार आठ सौ चौदह रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किये जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1990-91 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
5	भू-राजस्व (राजस्व)	1,92,608	—	1,92,608
	(पूंजी)	45,725	—	45,725
9	चिकित्सा और परिवार (राजस्व)	3,72,42,664	—	3,72,42,664
	कल्याण (पूंजी)	—	12,129	12,129
10	लोक निर्माण (राजस्व)	5,92,11,351	—	5,92,11,351
11	कृषि (राजस्व)	1,80,84,142	—	1,80,84,142
	(पूंजी)	1,27,68,383	—	1,27,68,383
14	पशुपालन और दुग्ध विकास (राजस्व)	70,35,912	—	70,35,912
15	मत्स्य (पूंजी)	3,22,497	—	3,22,497
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	1,19,19,572	—	1,19,19,572
20	ग्रामीण विकास (पूंजी)	7,426	—	7,426
21	सहकारिता (पूंजी)	4,88,60,601	—	4,88,60,601
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	8,62,066	—	8,62,066
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन (पूंजी)	8,48,937	—	8,48,937
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व) और नगर विकास	1,45,40,629	—	1,45,40,629
29	वित्त (पूंजी)	—	10,17,95,63,172	10,17,95,63,172
	जोड़ ..	21,19,42,513	10,17,95,75,301	10,39,15,17,814

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
11 मार्च, 1996.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[वित्त विभाग, फाईल नं0 फिन-ए-सी (2) 2/92-III]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 11 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1990-91 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follow :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1996.

Authorisation of a further sum of Rs. 10,39,15,17,814 out of the consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 1990-91.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 10,39,15,17,814 (one thousand and thirty nine crores, fifteen lakhs, seventeen thousands, eight hundred fourteen rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year, 1990-91 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1990-91.

THE SCHEDULE

(*See sections 2 and 3*)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
			Rs.	Rs.	Rs.
5	Land Revenue	(Revenue)	1,92,608	—	1,92,608
		(Capital)	45,725	—	45,725
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	3,72,42,664	—	3,72,42,664
		(Capital)	—	12,129	12,129
10	Public Works	(Revenue)	5,92,11,351	—	5,92,11,351
11	Agriculture	(Revenue)	1,80,84,142	—	1,80,84,142
		(Capital)	1,27,68,383	—	1,27,68,383
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	70,35,912	—	70,35,912
15	Fisheries	(Capital)	3,22,497	—	3,22,497
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	1,19,19,572	—	1,19,19,572
20	Rural Development	(Capital)	7,426	—	7,426
21	Co-operation	(Capital)	4,88,60,601	—	4,88,60,601
23	Water and Power Development	(Revenue)	8,62,066	—	8,62,066
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Capital)	8,48,937	—	8,48,937
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	1,45,40,629	—	1,45,40,629
29	Finance	(Capital)	—	10,17,95,63,172	10,17,95,63,172
		Total ..	21,19,42,513	10,17,95,75,301	10,39,15,17,814

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriation for the financial year 1990-91.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 11th March, 1996.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-C(2)2/92-III]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 1996 recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।